न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या

30 / 2019

डा0 राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री फतेहसिंह भाटी भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास सरदार शहर जिला– चूरू राज0

––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, जिला टोक

––प्रत्यर्थी

जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 17–10–2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 10–8–2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी।

1–मेरे द्वारा नवीन पेट्रोल पम्पो के अनापति जारी करने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक 29–7–2019 जरिए पंजीकृत पत्र RR938436523IN जो डाक विभाग के रिकार्ड के अनुसार आपके कार्यालय में दिनांक 1–8–2019 के प्राप्त हुआ। उक्त पत्र आपके कार्यालय रिकार्ड में कब प्राप्त हुआ, उसके प्राप्ति दिनांक व क्रमांक का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)

2–इस सम्बन्ध में आज दिनांक 10–8–2019 तक की संस्थित की गई कार्यवाही मय संधारित नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)

3– इस सम्बन्ध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो किन नियमों के तहत उन नियमों की प्रमाणित प्रतियॉं (दो प्रमाणित प्रतियों में)

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक से अपीलार्थी को सूचना नहीं देने के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 1267 दिनांक 10–10–2019 से अवगत करवाया है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सूचना न्याय शाखा कलक्ट्रेट टोंक से सम्बन्धित होने से पत्र

जिला कलेक्टर
टोंक

क्रमांक 816 दिनांक 20–8–2019 से अन्तरित कर सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक के पत्र क्रमांक 14478 दिनांक 26–8–2019 से आवेदक को सूचना भिजवादी गई है जिसकी प्रति न्यायालय हाजा में भी प्रेषित की गई है । अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक/प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा) कलक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(के0के0शर्मा)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.26 11:32:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: